भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारीता

दाण्डिक अपील संख्या 37/2006

राजस्थान राज्य ....अपीलकर्ता

बनाम

भोपाराम ....प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

1. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना ।

2. दोषमुक्ति के खिलाफ यह अपील स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/18 के तहत अभियोजन में उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने P.Ws 4, 5, 11 एवं 12 के साक्ष्यो पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और इसमे चूक होने पर छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपील में उलट दिया गया । उच्च न्यायालय ने एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी नोटिस प्रदर्श पी2 में दी गई अभियोजन कहानी एक मनगढ़ंत थी। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने जब्ती के तथ्य पर ही संदेह किया है। राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता

डॉ. मनीष सिंघवी ने हालांकि तर्क दिया है कि मामले में धारा 50 लागू नहीं थी। जहां तक उपबंध के निहितार्थ का संबंध है, यह तर्क निस्संदेह सही है, लेकिन उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यक्षत: प्रदर्श पी 2 जब्त किए जाने के बाद बनाया गया था और इसमे बरादमगी के संबंध में कुछ संदेह प्रतीत हुआ, जो कि जांच के संचालन पर संदेह पैदा करता हैा इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

3. हम, तदनुसार, अपील को खारिज करते हैं।

न्यायाधिपति [हरजीत सिंह बेदी]

न्यायाधिपति [चंद्रमौली के. आर. प्रसाद]

नई दिल्ली।

26 अक्टूबर, 2010

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।